IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri आशीष बाड़ा

S/O, W/O D/O स्व० हरदुगाम बाड़ा Village सिमडेगा चोन्चोटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri सुश्री बेरोनिका डुंगडुंग S/O,W/O D/O पिता- स्व० जोसेफ डुंगडुंग

Village बीरू कालो टोली P.S सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 4/6/18

in Rev,C.N.T.case No 397 of 2017-18

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No.	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value for Sale
गोतरा	सिमडेगा 80	56	2544	0·10 एकड़ (0·62 ए० में से)	मो० 281010=00 (दो लाख इक्कासी हजार दस रुपये) मात्र।

चौहद्दी:-

उ० - इसी प्लॉट का शेष अंश,

द० - इसी प्लॉट का शेष अंश,

पू० - इसी प्लॉट से छोड़ा गया कच्चा रास्ता 12 फीट का,

प० - इसी प्लॉट का शेष अंश

Sd. ह०/-

L.R.D.C.Simdega

Memo No. 564(II) /Rev. Dated (Simdega the 4/6/2018 20

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri आशीष बाड़ा पिता - स्व० हरदुगाम बाड़ा

Village सिमडेगा चोन्चोटोली P.S सिमडेगा District Simdega

For information and needful

कार्यालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

उपसमाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

L.R.D.C. Simdega

न्यायालय भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद सं0 397 / 17–18

श्री आशीष बाडा ....आवेदक
बनाम
झारखण्ड सरकार......................विपक्षी

आदेश

4/6/18 आवेदक श्री आशीष बाडा, पिता स्व0 हरदुगन बाडा, ग्राम–सिमडेगा घोचोटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः–

मौजा	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	56	2544	0.10 एकड. (0.62 ए0में से)

कुल रकबा (शब्दों में) दस डिसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान बनवाने हेतु प्रस्तावित केता–सुश्री बेरोनिका डुंगडुंग, पिता स्व0 जोसेफ डुंगडुंग, ग्राम बीरू कालो टोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति खडिया) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 23 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि हैं। जिसके खतियानी रैयत जुनास बाडा वो सुधवा उराँव पेशरान सोहराई उराँव हैं। वर्तमान जमाबंदीदार महानन्द बाडा वो हरदुगन बाडा वगै0 पे0 स्व0 स्टीफन बाडा वगै0 हैं। मालगुजारी आवेदक द्वारा दिया जाता है। उक्त भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है जो इन्हें उत्तराधिकारी में प्राप्त है। बिकेता एवं केता दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव एवं खड़िया जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की बिकी के पश्चात आवेदक के पास 6.72 एकड़ भूमि अवशेष बचता है।

भूमि स्वामित्त्व से संबंधित कागजात में खतियान, लगान रसीद एवं शुद्धि पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत है, जो अभिलेख में संलग्न है। केत्ता की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0आर0सी0 / 2018 / 21796 दिनांक 12.01.2018 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा–गोतरा थाना न0–80 थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0–56 प्लॉट संख्या 2544 रकबा 0.62 ए0 में से 0.10 एकड़ जमीन को मकान बनवाने के लिये केता सुश्री बेरोनिका डुंगडुंग, पिता स्व0 जोसेफ डुंगडुंग, ग्राम बीरू कालो टोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को मो0 2,81010.00 रू0 (शब्दों में) दो लाख इक्कासी हजार दस रूपये मात्र में अपने राजी–खुशी से बिक्री कर रहा हूँ। यह मेरी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिकी करने के बाद मेरे 6.72 एकड़ जमीन अवशेष बचती है। बिकेत्ता एवं केत्ता दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव एवं खड़िया जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

कार्यालय ... अधिकारी
सिमडेगा

आशीष कता
तुलना किया

कार्यालय, अंचल अधिकारी ......सिमडेगा..........

पत्रांक ......23......

दिनांक ......25.5.18.

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सिमडेगा ।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग : अनुमति वाद संख्या 397 सन् 2017-18

1. बिक्रेता के संबंध में प्रपत्र

1) क- आवेदक (हस्तान्तरणकर्त्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : आशिष बाड़ा पिता स्व. हरदुलान बाड़ा सिमडेगा घोंचो टोली थाना सह जिला - सिमडेगा
ख- जाति : उराँव

2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : खतियानी - जुनास उराँव वो सुधवा उराँव पे. ओहराई उराँव कौं

3) जमीनदारी विलियन के पश्चात् उक्त जमीन की जमाबंदी संख्या तथा जमाबंदी दार का नाम : (118/X) महानन्द बाड़ा पर्सो सुकेवो हरदुलान बाड़ा वगै. पे० स्व. स्तीफन बाड़ा वगै.

4) वर्त्तमान जमाबन्दी संख्या/ जमाबन्दी दार का नाम : — तदैव —

5) वर्त्तमान जमाबन्दी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : उत्तराधिकारी के रूप में

महानन्द बाड़ा + हरदुलान बा
6.78 ए.
आशिष बाड़ा (आवेदक) 6.78 ए

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक स्वयं

7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : स्वयं

8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा :
(84) खाता 56 रकबा ~~1.44~~ 2.81 ए.
(118) खाता 56 रकबा 1.44 ए.
खाता 76/285 रकबा 9.31½ ए.
13.56½ ए.

9) क्या आवेदक बड़े भू-धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : नहीं

10) क - क्या उक्त जमीन भूदान की है : नहीं
ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है : नहीं

11) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : मकान निर्माण हेतु

12) जमीन का किस्म एवं ब्यौरा :

ग्राम/थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	किस्म
गोतरा 80	56	2544	0.10 ए.	

---

13) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : 46835=00/- प्रति डि०

14) जमीन का वर्त्तमान मुल्य : 281010=00/-

15) बिक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 6.78 ए.

16) बिक्री के बाद शेष भूमि : 6.72 एकड़

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा

(Court fee stamps: भारत INDIA Re.1 एक रुपया ONE RUPEE)

अंचलाधिकारी
07.6.18

अंचल निरीक्षक
5.6.18
राजस्व कर्मचारी

302

298 1R0

INDIA

एक रुपया — ONE RUPEE — सत्यमेव जयते — भारत — एक रुपया — ONE RUPEE

Ashish Bara

Attested by [illegible] 7.6.18

[redacted]

23 I.A. with the Permission by L.R.D.C Simdega vide case no. 397/2017-18 order dated 4-6-18

Ashish 7.6.18

विक्रय - पत्र
==========

1. विक्रेता:- आशीष बाड़ा पिता स्व0 हरदुगन बाड़ा जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सिमडेगा जीपीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. ..   विक्रेता ।

आधार संख्या- 9415 9437 5337

शपथ-पत्र संख्या:- 218/2018

अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित की सूची में इस खाता खेसरा संख्या नहीं है। 7.6.18

[illegible] 07/06/18

Subodh Kumar Xaxa

Idf. Silas Xaxa
Vill Samtoli Khijri
P.S. Simdega
Dist Simdega
7.6.18

§2§ लेख्यधारिणी:- सुश्री बेरोनिका डुंगडुंग पिता स्व0 जोसेफ डुंगडुंग जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- बीरू कालोटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

आधार संख्या- 2582 3287 1651

शपथ-पत्र संख्या:- 219/2018

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग चार लाख सत्तर हजार रूपया अंके 4,70,000/- रूपया होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- सीतरा ठाकुरटोली, वार्ड नं0 2, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 56 §छप्पन§ प्लॉट नं0 2544 §पच्चीस सौ चौवालिस§ रकबा 0.62 एकड़ में से 0.10 एकड़ §दस डिसमिल§ जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का शेष अंश,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का शेष अंश,

पूरब :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया कच्चा रास्ता 12 फीट का,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का शेष अंश ।

मालगुजारी 1.00 रूपया §एक रूपया§ अलावे सेस सालाना ।

वर्णित बिक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है । जिसका हॉल्डिंग नं0 002000898000एम. 0 है ।

मैं, घोषणा करता हूँ कि इस जमीन को पूर्व में मेरे द्वारा नहीं बेचा गया है ।

Anand D
7.6.18

वेरोनिका डुंगडुंग
पिता - जोसेफ डुंगडुंग
ग्राम + पो0 - कालोटोली
थाना - सिमडेगा
जिला - सिमडेगा

मैं लेख्यकारी शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैंने पूर्व में बिक्रीत जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बिक्री नहीं किया हूँ ।

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण करने हेतु रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकरबेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और नमेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन खतियानी है खतियान में जमीन कायमी दर्ज है तथा खतियानी रैयत जुनास उरांव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है जो मेरे दादा थे । जमीन का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज मेरे पिता हरदुगन बाड़ा वगैरह के नाम से हो चुका है जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या 604आर. 27/09-10 है । मालगुजारी रसीद महानन्द बाड़ा वगैरह के नाम से वर्ष 2018-19 तक निर्गत है । मेरे पिताजी का निधन हो चुका है उनके निधन के पश्चात् उक्त जमीन आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा में मुझे उत्तराधिकारी की हैसियत से प्राप्त है जिसपर मेरा शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं है । मालगुजारी

7.6.18

रसीद के अनुसार पंजी II के भोल्युम 10, पेज नं0 118 में दर्ज है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अत: जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 397/2017-18 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 4. 6. 18 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 564§11§ दिनांक 4. 6. 2018 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, सहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैलर्ग कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ से संबंधित नहीं है ।

8.6.18

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

7.6.18

प्रमाणित किया जाता है लेख्यकारी के बाएँ हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।
By
Jugal Kishore Room
Advocate
07.06.2018

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

बेरोनिका डुंगडुंग
7.6.18

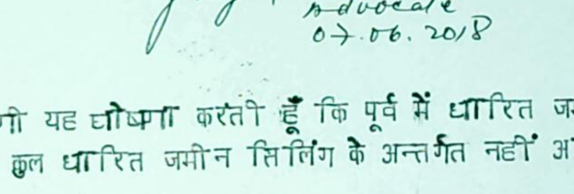

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाएँ हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।
by
Jugal Kishore Room
Advocate
07.06.2018

Besonica Dungdung.

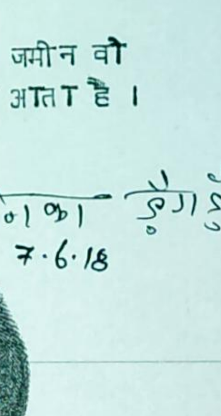

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Jugal Kishore Ram
Advocate
07.06.2018

{प्रारूपकर्त्ता}
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो कटिंग रहित है ।

टंकक
मो० महबूब
07.06.2018
मो० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

अनुलग्नक:-

1. बिक्रेता, क्रेतिका एवं पहचानकर्त्ता का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. परमिशन शेड्युल का मूल प्रति,
3. परमिशन आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रतिलिपि,
4. उत्तराधिकारी दाखिल खारिज का छायाप्रति,
5. खतियान का छायाप्रति,
6. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
7. विलेज मैप का छायाप्रति,
8. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
9. हॉल्डिंग टैक्स की छायाप्रति,
10. फोर्म नं० 1 का मूल प्रति,

7.6.18